कार्यालय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति, पोंड़ी जिला -कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक /2135/सजेस/संविदा भर्ती/विज्ञापन/2023 कवीरधाम दिनांक 08 .05.2023

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के आदेश कमांक एफ–23–08/2020/20–दो/1638 अटलनगर नवा रायपुर दिनांक 02.05.2023 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पोंड़ी में संचालन प्रबंधन समिति द्वारा अस्थाई रूप से प्रतिनियुक्ति/संविदा के पद पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिनांक 08.05.2023 से 23.05.2023 अपरान्ह 5.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

विज्ञापित पद का विवरण :–

क्र.	पद का नाम एवं विषय	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन	न्यूनतम योग्यता
1	व्याख्याता हिन्दी	अनारक्षित 1	38100/–	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्व विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय /महाविद्यालय से संबधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बी.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। हिन्दी व संस्कृत को छोडकर सभी कक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण हो। अंग्रेजी एवं हिन्दी के लिए स्नातक में अंग्रेजी साहित्य/हिन्दी साहित्य होना अनिवार्य है। अंग्रेजी व्याख्याता के लिए स्नातक में अंग्रेजी साहित्य होने पर सभी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नही होगी।
2	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	38100/–		
3	व्याख्याता संस्कृत	अनारक्षित 1	38100/–		
4	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	38100/–		
5	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	38100/–		
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	38100/–		
7	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	38100/–		
8	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	38100/–		
9	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	अना1,अजजा 1	38100/–		
10	शिक्षक गणित (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	35400/–	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्व विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/महाविद्यालय से संबधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ बी.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अंग्रेजी/हिन्दी शिक्षक के लिए स्नातक में अंग्रेजी/हिन्दी साहित्य होना अनिवार्य है। अंग्रेजी शिक्षक के लिए स्नातक में अंग्रेजी साहित्य होने पर सभी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नही होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं।
11	शिक्षक जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	35400/–		
12	शिक्षक सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	35400/–		
13	शिक्षक अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	35400/–		
14	शिक्षक कम्प्यूटर (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	35400/–	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्व विद्यालय से बी.ई. (कम्प्यूटर) बी.सी.ए.(कम्प्यूटर) बी.एस.सी. (कम्प्यूटर) बी.टेक. (कम्प्यूटर) की उपाधि को प्राथमिकता दी

Scanned with CamScanner

					की उपाधि को प्राथमिकता दी जावेगी ।
15	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 2 अ.ज.जा.1 अ.पि.व.1	25300/–	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेण्डरी विज्ञान/गणित उत्तीर्ण एवं डी.एड./डी.एल.एड प्रशिक्षित होना अनिवार्य हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं।
16	सहायक शिक्षक कला (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 2 अ.ज.जा.1	25300/–	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं डी.एड. /डी.एल.एड प्रशिक्षित होना अनिवार्य हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं ।
17	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	35400/–	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं बी.पी.एड सहित स्नातक उत्तीर्ण।
18	ग्रथपाल (अंग्रेजी माध्यम)	अनारक्षित 1	22400/–	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेण्डरी एवं बी.लिब. होना अनिवार्य है।

नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है शासन/समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्यूत की जा सकती हैं।
2. छ.ग. राज्य के मूल निवासी आवेदक ही चयन के लिए पात्र होंगे।
3. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्व प्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक कार्यालय प्राचार्य स्वामी आत्मानंद अग्रेजी माध्यम विद्यालय पोंडी के आवक/जावक कक्ष में जमा आवेदन स्वीकार किये जाएगें सीधे आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा।
4. अपूर्ण एवं त्रटि पूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जावेगें। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
5. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होना चाहिए आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–सीमा पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे।
6. अंग्रेजी माध्यम के आवेदको के द्वारा हिन्दी व संस्कृत विषय को छोडकर सम्पूर्ण अध्ययन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी व्याख्याता/शिक्षक के लिए स्नातक में अंग्रेजी साहित्य होने पर सभी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नही होगी।
7. प्रथम वरियता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जावेगी। पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति के आवेदकों के आवेदन प्राप्त न होने की दशा में संविदा भर्ती किया जावेगा।
8. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. आपके द्वारा कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर भी आपको रखा/पदच्युत किया जा सकेगा ।
10. प्रतिनियुक्ति की दशा में आवेदक को अपने कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रामाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

छत्तीसगढ़ टॉप समाचार

Scanned with CamScanner

11. अन्य शिक्षकों की भांति इन शिक्षको को भी अन्य आवंटित शालेय कार्य तथा मूल्यांकन /शालेय गतिविधियां आदि से भागीदारी सुनिश्चित करना होगा जिसके लिए अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी ।

12. साक्षात्कार/कौशल परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के समय निम्न अभिलेखो की मूल प्रति के साथ अभ्यार्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है

- 10 वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची।
- 12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त सेमेस्टर/वर्षो की अंकसूची।
- संबधित रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र।
- छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति में।

13. किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।

14. व्याख्याता, शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के लिए अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी।

1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत का – 40 प्रतिशत अंक
2. अनुभव – केन्द्र व राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयो में अध्यापन किये जाने का पदानुरूप अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 03 वर्ष के अनुभव के लिए 05 अंक, 03 वर्ष से अधिक एवं 06 वर्ष तक के लिए 10 अंक तथा 06 वर्ष से अधिक के लिए 15 अंक दिये जावेंगें ।
3. उपरोक्त अकादमिक पदों हेतु मेरिट अनुसार 1 अनुपात 15 की संख्या मे आमंत्रित कर लिखित परीक्षा – 30 अंक का लिया जायेगा।
4. अंकसूची, अनुभव एवं लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांको का मेरिट अनुसार 1 अनुपात 05 की संख्या मे आमंत्रित कर साक्षातकार –15 अंक का लिया जायेगा।

15 ग्रंथपाल एवं व्यायाम शिक्षक की अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी।

(अ) शैक्षणिक योग्यता – ग्रंथपाल हेतु स्नातक में प्राप्तांकों का प्रतिशत का–40 प्रतिशत अंक एव बी.लिब. का 20 प्रतिशत अंक एवं व्यायाम शिक्षक हेतु हायर सेकेण्डरी में प्राप्तांकों का प्रतिशत का–40 प्रतिशत अंक एव बी.पी.एड. का 20 प्रतिशत अंक लिया जायेगा।

(ब) अनुभव – केन्द्र व राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयो में कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 03 वर्ष के अनुभव के लिए 10 अंक, 03 वर्ष से अधिक एवं 06 वर्ष तक के लिए 15 अंक तथा 06 वर्ष से अधिक के लिए 20 अंक दिये जावेंगें।

(स) अंकसूची व अनुभव में कुल प्राप्तांको का मेरिट अनुसार 1 अनुपात 05 की संख्या मे आमंत्रित कर साक्षात्कार अंक का लिया जायेगा।

16 दावा–आपत्ति हेतु अभ्यार्थियों को एक निश्चित समय दिया जायेगा आवेदन/सूची में त्रुटियों की स्थिति में जिला स्तर पर समितियां इन दावा–आपत्ति का निराकरण कर निर्णय लेगी तथा दावा–आपत्ति एवं पात्र अभ्यार्थियों की सूची जारी करेगी। चयन समिति अभ्यार्थियों के संख्या के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि का निर्धारण करेगी तथा दावा–आपत्ति के तिथि के पश्चात किसी भी दावा–आपत्ति को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा।

17 उपरोक्त संविदा अवधि 3 वर्ष के लिए होगी। छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 कंडिका क. 11 के (1) नियम 4 (1) अनुसार ।

18 संविदा कर्मचारियों के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

19 संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

20 एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक –पृथक आवेदन करना होगा ।

Scanned with CamScanner

21 राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट स्वामी आत्मानंद शास.अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तो से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी जो सर्व मान्य व सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

22 नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

23 विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा चयन हेतु निम्नलिखित चरण प्रकिया अपनायी जावेगी। (अ) लिखित परीक्षा (ब) साक्षात्कार। लिखित परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से जिले की वेबसाईट में दी जाएगी ।

24 शिक्षक/सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम/हिन्दी माध्यम हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा टी.ई.टी. उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

25 किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।

26 अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। आवश्यक होने पर प्रबंधन समिति प्रमाण पत्र की वैधता की जॉच करा सकता है।

27 अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों ,महिला उम्मीदवारों के लिएं आयु सीमा में शिथिलता हेतु छ.ग. शासन के नियमों के अनुसार छूट की पात्रता होगी।

28 आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावेगा।

29 पद संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

30 संविदा भर्ती में किसी भी प्रकार के आपत्ति/विवाद का निराकरण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय. पोंडी, संचालन प्रबंधन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

31 आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के वेबसाईट kawardha.gov.in पर से डाउनलोड कर सकते है।

विशेष :– अद्यतन जानकारी के लिए जिले की वेबसाईट kawardha.gov.in का नियमित अवलोकन करते रहें।

32. उक्त भर्ती माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

सचिव
विद्यालय संचालन समिति
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
पोंडी, जिला कबीरधाम

Scanned with CamScanner